

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1040/2024**

IN THE MATTER OF:

Surender and Ors

.... APPLICANTS

VS

State Of UP & Ors

.... RESPONDENTS

INDEX

<u>S. NO.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
1.	Affidavit of Superintendent of Police Sonbhadra in compliance of order dated 18-03-2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure R-1</u> A copy of report dated 20.04.2025 submitted by the Additional Superintendent of Police (Operations) District Sonbhadra	
3.	<u>Annexure R- 2</u> A copy of office letter no-writ Vividh/2025 dated 07.04.2025	
4.	<u>Annexure R- 3</u> A copy of report dated 08.04.2025	
5.	<u>Annexure R-4(Colly)</u> A copy of report dated 21.04.2025 and 08.04.2025 submitted by the Inspector in Charge Police Station Obra and Chopan_District Sonbhadra	
6.	<u>Annexure R-5(Colly)</u> A copy of report dated 21.04.2025 and reports submitted by the District Mining Officer Sonbhadra	
7.	<u>Annexure R-6(Colly)</u> A copy of letter dated 16.09.2024 and 04.12.2024	

FILED THROUGH:

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST

NEW DELHI-110013.

MOB :- 09990804440 ankit.scngtup@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 1040/2024

IN THE MATTER OF:

Surender and Ors

.... APPLICANTS

VS

State of UP & Ors

.... RESPONDENTS

**AFFIDAVIT OF SUPERINTENDENT OF POLICE SONBHADRA
UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 18-03-
2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

I, Ashok Kumar Meena aged about 40 years, presently posted as Superintendent of Police, District Sonbhadra Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized to file the present affidavit. The deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 18.03.2025, was pleased to issue the following directions-

".....13. Superintendent of Police, Sonbhadra is also directed to file his affidavit giving all requisite details as to action taken on complaints made by respondent no.6 to the police and specifically mentioning as to whether any FIR was registered on the basis of complaints given by respondent no.6, if yes, what further action was taken on the same, if no, what were the reasons for not registering the FIR. Additional affidavit be filed by



Superintendent of Police, Sonbhadra within four weeks....."

3. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 18.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.
4. That the deponent is posted as Superintendent of Police District Sonbhadra since Dated 13-09-2024.
5. That in compliance of order dated 18.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent vide his letter dated 05.04.2025 directed the Additional Superintendent of Police (Operations), District- Sonbhadra to conduct an enquiry into the allegations levelled by Respondent No. 6 and submit a factual report.
6. That in furtherance of the directions issued by the deponent vide his letter dated 05.04.2025 the Additional Superintendent of Police (Operations) District Sonbhadra conducted a detailed enquiry and submitted its report dated 20.04.2025
7. That the Additional Superintendent of Police (Operations), District Sonbhadra, has informed that statements have been recorded from the police officials who were posted at various police stations within District Sonbhadra on 20.12.2023, 28.12.2023, and 01.05.2024 the dates corresponding to the period when the alleged complaint was purportedly made by Respondent No. 6. It has been affirmed during the course of recording these statements that none of the said police officials reported the receipt of any verbal or written complaint during their respective tenures at the concerned police stations. A copy of report dated 20.04.2025 submitted by the Additional Superintendent of Police (Operations) District



Sonbhadra is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**.

8. That in compliance of the order dated 18.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent vide his office letter No-writ Vividh/2025 dated 07.04.2025 directed the Head of the District Crime Records Bureau (DCRB) Sonbhadra to submit a report on action taken on the complaints made by Respondent No.6 on 28.12.2023 and 01.05.2024 about illegal mining being conducted by unknown persons. A copy of office letter No- writ Vividh/2025 dated 07.04.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**.

9. That tdra, vide Office Letter No. 2113/DCRB-Vividh/2025 dated 08.04.2025, has informed the office of the deponent that, based on the information retrieved from the Radio Telephone Sets of all police stations within District Sonbhadra, no complaint was received on 28.12.2023 or 01.05.2024. Furthermore, it has been confirmed that no case was registered on either of the aforementioned dates concerning allegations of illegal mining by unknown persons. A copy of report dated 08.04.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**.

10. That the deponent also sought report vide his office letter No writ Vividh/2025 dated 07.04.2025 from the Police Station Obra and Police Station Chopan District Sonbhadra.

11. That the Inspector in Charge of Police Station Obra and Chopan District Sonbhadra vide their letter dated 21.04.2025 and 08.04.2025 informed the office of deponent that on 28.12.2023 and 01.05.2024 no written or verbal complaint was received for illegal mining being conducted by some unknown persons in their respective Police Stations. A copy of report dated 21.04.2025 and 08.04.2025 submitted by the



Inspector In Charge Police Station Obra and Chopan is annexed herewith and marked as **Annexure R-4 (Colly)**.

12. That the deponent vide his letter No Writ Vividh (NGT)/2025 dated 10.04.2025 also sought report from the Inspector in Charge Jugail Police Station, District Sonbhadra.

13. That The Inspector-in-Charge, Jugail Police Station, District Sonbhadra, vide his report dated 21.04.2025, has further informed the deponent that no verbal or written complaint from Respondent No. 6 was received on either 28.12.2023 or 01.05.2024. It has, however, been reported that several routine inspections were conducted during which immediate action was taken, resulting in the seizure of tractor-trolleys involved in the illegal transportation of mined material. General Diary (G.D.) entries were accordingly made on 02.02.2024, 05.02.2024, 06.04.2024, and 08.06.2024 under Sections 3/181, 192, 196, and 207 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Furthermore, it has been reported that on 24.12.2024, an incident of illegal transportation of sand was detected, wherein a trolley bearing Registration No. UP 64 AT 0883 was seized and the driver, Katvaru Kol, was immediately apprehended. Consequently, Case No. 119/2024 was registered under Sections 303(2), 117(2), and 3(5) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023; Sections 3(1), 58, and 72(6) of the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules, 2021; and Section 4/21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Additionally, an FIR was registered against four other individuals, namely, Ram Surat Yadav, Ram Murat Yadav, Manoj Yadav, and Ram Pratap Yadav, in connection with the said illegal activity, and Charge Sheet No. A 28/2025 dated 17.04.2025 has since been filed before the Competent Court of the Magistrate.




The District Mines Officer, through his report, has further apprised that the quantity of sand illegally transported during the aforementioned inspections was measured to be a total of 13 cubic meters. A copy of report dated 21.04.2025 submitted by Inspector In Charge Jugail Police Station and the reports submitted by the District Mining Officer Sonbhadra is annexed herewith and marked as **Annexure R-5 (Colly)**

14. That the deponent herein, has also issued stringent directions to the Additional Superintendent of Police, Circle Officers, Station House Officers, Incharge Traffic and Incharge Dial-112 for ensuring immediate action against cases of illegal mining /transportation in Forest Area/River Bed and also within their jurisdictional Police Stations in District Sonbhadra, vide his office letter dated 16.09.2024 and 04.12.2024. The deponent also presides over weekly meetings on every Wednesday and takes report about mining operations within District Sonbhadra. A copy of office letter dated 16.09.2024 and 04.12.2024 issued by the deponent and investigation report date 20.04-2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-6(Colly)**

15. That as a matter of fact no illegal sand mining is being carried out in the alleged area. Not one trolley is allowed to be passed without checking from the area. However where theft of sand is reported, immediate action has been initiated by the District Administration.

16. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration is very conscious and vigilant about illegal mining/transportation. Earnest efforts are being undertaken within District Sonbhadra Uttar Pradesh to ensure that the mining operations are strictly carried out by the lease holders/project proponents in accordance with the UP



पुलित्त अधीक्षक,
सोनभद्र।
महोदय

कृपया अपने पत्र दिनांकित 05.04.2025 का सम्पूर्ण ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री चन्देशखर चौरसिया ग्राम अगोरी, निवासी 09ए पैरामाउण्ट विला अन्नाला निअर, रीजिनल फालेज रयागला टिल्स गोपाल गव्यप्रदेश के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों/तथ्यों की गोपनीय जांचकर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

आरोप:-

शिकायती प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2023, 28.12.2023 तथा 01.05.2024 को थाना जुगैल सोनभद्र पर प्रार्थना पत्र देने तथा स्थानीय थाने द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय आरोप अंकित है।

जांच आख्या:-

जांच के क्रम में थाना जुगैल पर दिनांक 20.12.2023, 28.12.2023 एवं 01.05.2024 को नियुक्त प्रभारी निरीक्षक एवं कार्यालय में कार्यलेख पर दिन व रात्रि में नियुक्त हे0मु0/का0मु0 के अभिकथन अंकित किये गये एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जो निम्नवत है-

बयान श्री कुमुद शेखर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना शक्तिनगर, सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना शक्तिनगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्य-सरकार सम्पादित कर रहा हूँ। दिनांक 22.10.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक थाना जुगैल, सोनभद्र में नियुक्त था। मेरी नियुक्ति के समय दिनांक 20.12.2023 एवं दिनांक 28.12.2023 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रिसिविंग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान श्री भैया एस0पी0 सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना हाथीनाला, सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना हाथीनाला में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्य-सरकार सम्पादित कर रहा हूँ। मेरी नियुक्ति के समय दिनांक 01.05.2024 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रिसिविंग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान मुख्य आरक्षी प्रवीण कुमार राय पी0एन0ओ0-952521080 नियुक्ति औराई जनपद भदोही

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना औराई जनपद भदोही में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.12.2023 को दिन के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 20.12.2023 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रिसिविंग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं है। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान मुख्य आरक्षी कन्हैया यादव थाना रा0गंज, जनपद सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना रा0गंज सोनभद्र में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.12.2023 को रात्रि के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 20.12.2023 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रिसिविंग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं है। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।



बयान मुख्य आरक्षी सददाम हुसैन थाना जुगैत, सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना जुगैत, सोनभद्र में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 28.12.2023 को दिन के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 28.12.2023 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रितिविग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान आरक्षी अजीत कुमार पी0एन0ओ0 202691668 नियुक्ति एरा0ओ0जी0 जनपद सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में एरा0ओ0जी0 सोनभद्र में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 28.12.2023 को रात्रि के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 28.12.2023 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रितिविग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान मुख्य आरक्षी रमेश कुमार पुलिस लाईन जनपद सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में पुलिस लाईन, सोनभद्र में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 01.05.2024 को रात्रि के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 01.05.2024 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रितिविग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

बयान आरक्षी अरविन्द सरोज नियुक्ति थाना रा0गंज, जनपद सोनभद्र।

पूछने पर बता रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में थाना रा0गंज सोनभद्र में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति के दौरान दिनांक 01.05.2024 को रात्रि के कार्यलेख में नियुक्त था। दिनांक 01.05.2024 को श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही मेरे द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रितिविग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। थाने के आगन्तुक रजिस्टर को चेक करने पर पाया गया कि श्री चन्देशखर चौरसिया अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

आवेदक को दिनांक 07.04.2025 एवं दिनांक 14.04.2025 को अपना अभिकथन अंकित कराये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु आवेदक उपरोक्त अपना अभिकथन अंकित कराये जाने हेतु उपस्थित नहीं हुये। आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर इनके मो0न0 भी अंकित नहीं है, जिससे आवेदक को सम्पर्क करके बुलवाया जा सके। अतः इनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को ही इनका बयान माना गया। यद्यपि तीनों प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर अलग-अलग हैं। दिनांक 28.12.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर आवेदक चन्देशखर चौरसिया के हस्ताक्षर पर फार विलास अंकित है। दिनांक 20.12.2023 एवं दिनांक 01.05.2024 को दिये गये प्रार्थना पत्र में आवेदक चन्देशखर चौरसिया के हस्ताक्षर में भिन्नता है।

निष्कर्ष:-

सम्पूर्ण जाँच, बयानात व अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक श्री चन्देशखर चौरसिया ग्राम अगोरी, निवासी 09ए परामाउण्ट विला अन्सलस निअर, रीजिनल कालेज स्पागला हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश अथवा इनके फर्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त नहीं है और न ही थाना जुगैत के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस नाम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की रितिविग चन्देशखर चौरसिया नाम के किसी व्यक्ति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को दिया गया है, जिसकी पुष्टि सहाय्य थाना जुगैत, सोनभद्र पर नियुक्त किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये बयानों व अभिलेखों के अवलोकन से हो रही है।



जॉच से यह भी पाया जा रहा है कि दिनांक 20.12.2023, 28.12.2023 एवं 05.04.2024 को आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर में भिन्नता पायी जा रही है। धाना जुगैल पर तत्समय नियुक्त किसी अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जा रहा है। तीनों प्रार्थना पत्रों पर प्राप्ति के हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। दिनांक 28.12.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर आवेदक चन्द्रशेखर चौंसिया के हस्ताक्षर पर फार विलास अंकित है। दिनांक 20.12.2023 एवं दिनांक 01.05.2024 को दिये गये प्रार्थना पत्र में आवेदक चन्द्रशेखर चौंसिया के हस्ताक्षर में भिन्नता है। आवेदक द्वारा उक्त तिथियों में दिये गये किसी भी प्रार्थना पत्र में मो0न0 भी अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र पर प्राप्ति के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

जॉच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संतनकःयथोपरि।
दिनांक: अप्रैल 2025

Jul 8 2025
(त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी)
अपर पुलिस अधीक्षक,
(आप0), सोनमद।



अति गहरवपूर्ण / रागयबद्ध / गा० नै०६० ब्यूरो प्रकरण

प्रभारी निरीक्षक घोपन/ओबरा,
जनपद सोनमद्र।

कृपया प्रार्थीगण सुरेन्ध, मालगरी, रामरुभाग हिरालाल, तथा बच्च्या यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र(छायाप्रति) का अवलोकन करें, जो मा० मुख्यामंत्री गहोदय, उ०प्र० सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य ०७ को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुये मा० अध्यक्ष हरित अधिकारण (एन०जी०टी०) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 18.03.2025 को सुनवाई के उपरान्त विन्दु संख्या-10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या: ०६ द्वारा दिनांक: 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

2- अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत की गयी हो तो आप द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी। उक्त सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल/अधिलम्ब रिट सेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके आधार पर हलफनामा तैयार किया जा सकें।

प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से सम्बन्धित है किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

पत्र संख्या: रिट विविध/2025
दिनांक: अप्रैल ०७, 2025

Signed by

Ashok Kumar Meena

पुलिस अधीक्षक

Date: 07-04-2025 20:47:53 सोनमद्र।

प्रतिलिपि:- प्रभारी निरीक्षक, डी०सी०आर०बी० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में कोई मु०अ०स० पंजीकृत होने की सूचना आपके पास उपलब्ध हो तो उपलब्ध करायें।

(Handwritten signature)



Letter-2113

शेवा में,
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद सोनमढा।

कृपया आप अपने पत्र संख्या-रिट विधि/2025 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो प्रार्थीगण सुरेन्द्र, बालगढ़ी, रामपुरग, हीरासाल तथा मध्या मादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो भा0 मुख्यमंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए भा0 अध्यक्ष हरित अधिकारण (एन0जी0टी0) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को सुनवाई को उपरान्त विन्दु संख्या 10 में अंकित विन्यास गथा है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तिगणों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, उपरोक्त विधियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत की गयी हो तो शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, उक्त सम्बन्ध में जगनी आख्या/सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जरिये आर0टी0सेट जगपद के धान: जुगन को छोड़कर दोष अन्य धानों से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही पंजीकृत होना नहीं पाया गया।

रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

पत्र संख्या:डीसीआरबी-विधि/2025
दिनांक: अप्रैल 08, 2025

Prabir Singh
08/4/2025
प्रभारी डीसीआरबी
सोनमढा।- प्रभारी
डी० सी० आर० बी०
सोनमढा



रिपोर्ट धाना ओबरा जनपद सोनभद्र

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद सोनभद्र

विषय:- पत्र संख्या रिट विविध/2025 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 आवेदक प्रार्थीगण सुरेन्द्र बालमती हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र पर कार्यवाही न करने के के सम्बन्ध में जाँच आख्या:-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आप के पत्र संख्या -रिट विविध/2025 दिनांक 07/04/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जो आवेदकगण सुरेन्द्र बालमती, रामसुभग, हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो मा0 मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 अध्यक्ष हरित अधिकारण(एन0जी0टी0) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18/03/2025 को सुनवाई के उपरान्त बिन्दु संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28/12/2023 और 01/05/2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिसके सम्बन्ध में धाना स्थानीय से आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत धाना स्थानीय को प्राप्त नहीं हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



रिपोर्ट धाना चोपन जनपद सोनभद्र

सेवा में

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जनपद- सोनभद्र

विषय- पत्र संख्या-रिट विधि/2025 दिनांक 07.04.2025 के सम्बन्ध में आख्या । ,
महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या-रिट विधि/2025 दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदकगण सुरेन्द्र, बालमती, रामसुभग, हीरालाल तथा बच्चा यादव के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र जो मा० मुख्यमंत्री महोदय, उ०प्र० सरकार लखनऊ को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है जिसका संज्ञान लेते हुए मा० अध्यक्ष हरित अधिकारण (एन०बी०टी०) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को सुनवाई के उपरान्त विन्दु संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 28.12.2023 और 01.05.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में धाना स्थानीय से आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त तिथियों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित/मौखिक शिकायत धाना स्थानीय को प्राप्त नहीं हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

K. J. S.
08/04/25
प्रभारी निरीक्षक
धाना-चोपन, सोनभद्र



रिपोर्ट थाना जुगत जनपद सोनभद्र।

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
जनपद सोनभद्र।

महोदय,

निवेदन है कि कृपया अपने पत्रांक रिट विविध (NGT)/2025 दिनांक 10.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आवेदक चन्द्रशेखर चौरसिया द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन के संबंध में की गयी शिकायत एवं तत्संबंध में कार्यवाही विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक चन्द्रशेखर चौरसिया व किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा की गयी शिकायत थाना अभिलेखों के अनुसार नहीं प्राप्त हुआ है।

उच्चाधिकारीगण के दिये गये निर्देशों के क्रम में जाँच / चेकिंग किया गया तो-


1- दिनांक- 02.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर संख्या UP 64 AH 1367 मय ट्राली अवैध बालू लोड को जी.डी. नं0 29 दिनांक 02.02.2024 समय 10.05 बजे अन्तर्गत धारा 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में सीज कर खनन विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। खनन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार ट्राली में लोड अवैध बालू 03 घन मीटर पाया गया।

2-दिनांक 05.02.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालू लोड चेचिस नम्बर-T054004146JL इंजन संख्या- E2611056 को अन्तर्गत धारा 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं0- 25 दि0- 05.02.2024 समय 11.15 बजे सीज कर दाखिल किया गया खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी। खनन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार ट्राली में लोड अवैध बालू 01 घन मीटर पाया गया।

3-दिनांक 06.04.2024 को 01 अदद ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर अवैध बालू लोड चेचिस संख्या MBNABAJAKMRM08604 इंजन नम्बर- RMM2KBA0712 को अन्तर्गत धारा- 3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं- 21 दिनांक 06.04.2024 समय- 08.30 बजे सीज कर दाखिल किया गया खनन विभाग को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की गयी। खनन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार ट्राली में लोड अवैध बालू 03 घन मीटर पाया गया।

4-दिनांक 08.06.2024 को 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध बालू लोड क्रमशः चेचिस नम्बर- 920913122601 इंजन नं0- E749732 तथा चेचिस नं0- MZ0SG716877SM इंजन नं0- 3100DL8313709350F3 को अन्तर्गत धारा-3/181, 192, 196, 207 एम.वी. एक्ट में जी.डी. नं0- 11 दिनांक 06.04.2024 समय- 07.20 बजे सीज कर दाखिल कर संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। खनन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक ट्राली में लोड अवैध बालू 03-03 घन मीटर पाया गया।





5-दिनांक-24.12.2024 को घोरी का अवैध बालू / गोरम कुल 7.66 घन मीटर लोड टीपर संख्या- UP 64 AT 0883 सहित घातक कतवारु कोल पुत्र लालजीव कोल निवासी अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैत जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-119/2024 धारा-303(2), 117(2), 3(5) ची.एन.एस. व 3(1),58, 72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 व धारा- 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 विरुद्ध दो नामजद अभियुक्तगण कतवारु कोल उपरोक्त व रामसूरत यादव उर्फ छोटेई पुत्र लक्ष्मण यादव निवासी गण अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैत जनपद सोनभद्र पंजीकृत किया गया विवेचना में 03 और अभियुक्तगण 3. रामसूरत उर्फ लल्लू यादव 4. मनोज यादव पुत्रगण लक्ष्मण यादव 5. रामप्रताप यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण थाना अगोरी खास टोला बिजौरा थाना जुगैत जनपद सोनभद्र का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया बाद विवेचना आरोप प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तगण 1. कतवारु कोल 2. रामसूरत यादव 3. रामसूरत उर्फ लल्लू यादव 4. मनोज यादव 5. रामप्रताप यादव उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- ए- 28/2025 दिनांक 17.04.2025 किता किया गया । आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

21/04/25 (प्रणय प्रसून श्रीवास्तव)
प्रभारी निरीक्षक
थाना जुगैत, सोनभद्र ।



General Diary Details
आन्ध्र प्रदेश पुलिस

- 1. State (राज्य): उत्तर प्रदेश
- 2. P.S. (थाना): फुलिया
- 3. District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र
- 4. G.D. No. (दस्तावेज सं.): 025
- 5. G.D. Date (दस्तावेज दिनांक): 05/02/2024 11:15 बजे
- 6. G.D. Type (दस्तावेज प्रकार): आगमन/पारपी.
- 7. Entry for (Officer) (अधिकारी के लिए): KUMUD SHEKHARSINGH
- 8. Case Type (किसम के प्रकार): डीक
- 9. Subject (विषय):
बाली प्रॉपर्टी व टाइटिया एक अट्टा ट्रेक्टर मय टानी सोन अंतर्गत धारा 207 एच.पी. एक्ट
- 10. G.D. Brief

मे प्रॉपर्टी कमुद शेखर सिंह मय हे०कॉ० चक्र कुमार सुब्रम व हे०कॉ० अशोक घोषी के मय क० बालक मय प्रताप सिंह मय सरकारी बालू न० युपी 64 जी 0400 के रवानाशुदा पो०अय तापीकी डिरोना से मय एक अट्टा ट्रेक्टर मय टानी फल्टिन बिना नम्बर घेविस न० 7054004146JL इन्जन न० E26110556 सीज शुदा के उपस्थित बाना हुना बोया। कार्य सरकार हुब प्रकार हे कि मे प्रॉपर्टी मय हुनरहितवान मय बालू सरकारी के बाना हुना से दिनांक 04.02.2024 को बहबाने एप्ट न०- 48 समय- 16.40 बजे रवाना हुकर देबभाल क्षेत्र काले हुए बाना हुना के फ्लेस के साथ चल रहे अभियान बालू घेविसा किया गया व बाद बालू घेविसा पैटन गस्त कलका जुरील मे किया गया व बाना हुना की फोर्स को आवरक टिका निर्देश देकर मालू क्षेत्र किया गया व एडि मे रात्रि मालू घेविसा किया गया व मालू मोस्टेड म अन्य धार्मिक स्थल, मालू पूर्ण स्थानो आदि स्थानो पर घमल सोन एकर लोगो को जानवापी मबनीड के सम्बन्ध मे जागरूक किया गया व मालनीय न्यायानस के आदेश निर्देश से अवगत करते हुए शांति व्यवस्था बनाने हेतु हिटाफत किया गया। व देबभाल क्षेत्र कला हुआ गितिकपुरवा मे मौजूद था आज दिनांक 05.02.24 को समय करीब 09.15 बजे वन टोना अरुविन्द सिंह कोटिक मिये लभी एक ट्रेक्टर जवैय बालू नदा हुआ आया जिसे हम लोगो ने रोका तो काली तेज हुकर भागा हम लोगो ने दिहा किसे को सेनिया गाँव मे आवर गाँव के टाले की तरफ आवर लभी आटे केनट पुत्र हकिम केवट कियासी सेमिया बाना जुरील सोनभद्र के घर के पास बियेड मे फला दिया निचले गाँवी निकल नही रही थी लभी नेवारी के सुनील का जेसीवी मंगलकर बालू उतरखारक ट्रेक्टर को रोड पर लाकर उनी ट्रेक्टर पर मुनः मालू रबरक मालक मुनेय कोल पुत्र स्व० मीर कोल कियासी पान सेमिया बाना जुरील सोनभद्र से ट्रेक्टर का कागजात लकब किया गया तो कोई भी कागजात नही दिहा रहा हे न ही उनके पास कोई डीएन हे और नही कोई इंसोरेन्स हे निकले कारण उक्त ट्रेक्टर को अन्तर्ग धारा 3/181; 39/192, 193, 207 एच.पी. एक्ट सीज किया गया। धारक को निचि मुचलिक पर दिहा किया गया ट्रेक्टर पर मालू लटा हे जिसके बनन विभाग को अलग से रिपोर्ट टी जा रही हे। बाना हुना के लिये रवाना हुआ। हे०गु० व संतरी प्रहय को ट्रेक्टर दिखाना गया। हुनारी कर्मचारी के साथ रवानाशुदा सल व फलूय अट्टा मालू रबरक मालू मालबाना का मंड टिक संतरी को दिखाया गया। मालू मालू बालू बनिमये स्वयं लिया गया।

B. Acts & Sections (अधिनियम और धाराएँ):

S.No./अ.सं.) Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
-----------------------------	-------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025
 Report Printed by (निच के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
 Name (नाम): PRANAY PRASUN
 Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
 Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV
 Rank (पद): I (Inspector)
 No.(सं.): 07276014

(Handwritten signature)



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (पोस्ट): मुंगेर

District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

1. G.D. No. (दैनिकी संख्या): 029

2. G.D. Date (दैनिकी दिनांक): 02/02/2024 10:05 बजे

3. G.D. Type (दैनिकी प्रकार): अन्य तत्काल बाध्य एक अटल ट्रैक्टर म

4. Entry for (ऑफिसर) (अधिकारी के लिए): KUMUD SHEKHARSINGH

5. Case Type (कारण के प्रकार): चोरी

6. Subject (विषय):

तत्काल बाध्य एक अटल ट्रैक्टर मय टासी चीज अंतर्गत 207 एन.सी. एक्ट

7. G.D. Brief

मैं प्रमिड कुमुद देबर सिंह मय हमराह हेमराड दिनेश कुमार हेमराड अरुण कुमार बाध्य मय बाहन कारवारी संख्या UP64G 0400 के खाना खाना 00आम तापकी टिकेबा से एक अटल ट्रैक्टर चीज मुटा बाहन संख्या- UP64AH1387 मय टासी के उपस्थित खाना खाना। विद्वान कार्य सरकार इत प्रकार है कि बाग हाबा से खाना होकर देबरचाल डेज से मानू होले हुए राति गस्त में भरती किया पुरुबा तो एक ट्रैक्टर संख्या UP 64 AH 1387 मय टासी, टासी का बाहु लदा है लेकर जा रही है जिसे रोकर धारक धरमचल पुत्र मनीलाल बैसवाल निवासी रमडीहा खाना मठबा जिला सिंगरौली अटल प्रदेश से गडी के कागजात लभ किया गया तो कोई भी कागजात नहीं दिया रहा है न ही उसके पास कोई टी.एल. है और न ही इन्सुरेन्स है जिसके कारण एक ट्रैक्टर को अंतर्गत धारा 3/181, 192, 196, 207 एन.सी. एक्ट में समन 01.30 बजे चीज किया गया। धारक को निजी मुकामके पर छोटा गया। चूंकि ट्रैक्टर पर मानू लदी है बिचके लिए बनन विभाग को जमा से रिपोर्ट टी जा रही है। बाहन के सम्बन्ध में टाबिलता रह्यन हट गया है। तत्काल दर्ज किया गया।

8. Acts & Sections (अप्रिनियम और धाराएं):

S.No.(स.सं.)	Acts (अप्रिनियम)	Sections (धाराएं)
--------------	------------------	-------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 20/04/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PRANAY PRASUN

Rank (रक): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV

Rank (रक): I (Inspector)

No.(सं.): 07276014



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

- State (राज्य): उत्तर प्रदेश
- P.S. (थान): मुर्दा
- District/Unit (विभागांक): सोनभद्र
- 1. G.D. No. (दैनिकी सं.): 011
- 2. G.D. Date (दैनिकी दिनांक): 06/06/2024 07:20 बजे
- 3. G.D. Type (दैनिकी प्रकार): अज्ञात
- 4. Entry for (Officer) (अधिकारी के लिए): अपर निरीक्षक
- 5. Case Type (प्रकार के प्रकार): धोड़
- 6. Subject (विषय):

7. G.D. Brief

सापत्नी जॉनो व दाहिना 02 अटल ट्रेक्टर म-4 टामी सीब अंतर्गत कार 207 एम.बी. एक एक अटल सवारीय मोटर साइकल में जॉनो मन्नेय कुमार सिंह वय हनवाह हेमराज अनिल कुमार सिंह, हेमराज अमन कुमार यादव, हेमराज राममोहन कुशवाहा के स्वामित्व में हेमराज हारीजी इमराना से मय 02 अटल ट्रेक्टर मय टामी 1, आयकर 380 मिन नम्बर पेरिस नं० B209J3122601 इमन नं० E74973 2, सोनभद्र CR 734 मिन नम्बर इमन नं० B100DL8313709350F3 पेरिस नं० M205G716877SM. सीब शुदा के उपस्थित बाना हाना आया। कार्य बरबर इस प्रकार है कि मैं जॉनो मय हनवाहियान के बाना हाना से जाना होकर ट्रेक्टर अंतर्गत कार कले हुए बेलथा प्रा० विद्यालय के सामने रोड़ पर बाहन पेरिस कर रहा था कि समय करीब 05.30 बजे 02 ट्रेक्टर अंतर्गत बाना मया जाया तब हम लोगो ने रोका व आयकर बरकर बरकरेय कर विचारदेय करकेय नि० कार बन्दोनी बागा मुर्दा सोनभद्र व ट्रेक्टर सोनभद्र के पालक समूह यादव पुत्र अमरनाथ यादव नि० टामु टामु यादव बागा मुर्दा सोनभद्र ट्रेक्टर का सापत्नता बनव किया तो कोई भी बरकरना नही दिखाया व ही उसके पास कोई डीएन है और नही कोई इन्वेन्स है बिके कारण एक ट्रेक्टर को अन्तर्गत धारा 3/181, 39/192, 198, 207 एम.बी. एक सीब किया गया। पालक को निम्न प्रमाणिका वा रिपोर्ट किया गया बालनी रिपोर्ट पर पालक द्वारा हताकर करने से मना किया गया। ट्रेक्टर पर बाजू मटा है बिके कारण से प्रमाणिका को रिपोर्ट देवित किया जा एता है व बेलथा प्रा० मय के पास ही UP 68 J 4897 TYS CVTI लिस्टर पेरिस नम्बर- MF35A1E54515 व इमन नम्बर CF5EA1450057 सवारीय हाना से बडी गिती है बिके बाहन स्वामी की साथ पास बरकर किया गया साथ पास के लोगो से भी बाहन के बाहन स्वामी के बारे में पूरा मया तो कोई भी बरकरा बाहन होना नही बता रहे है बाहन को सवारीय पाते हुए बाना हाना पर लाकर बडी किया गया। हेमराज व विराटनी बरकरा को ट्रेक्टर व मोटारो दिखावा मया। सब बुरकना एता।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धाराएँ):

S.No.(स.सं.) Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
-----------------------------	-------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की तिनांक): 20/04/2025
 Report Printed by (बिष के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
 Name (नाम): PRANAY PRASUN
 Rank (रत): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
 Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV
 Rank (रत): I (Inspector)
 No.(सं.): 07278014



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र

Year (वर्ष): 2024

P.S. (थाना): जुगेल

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0119

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/12/2024 15:40

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day मंगलवार
(दिन):

Date From 24/12/2024
(दिनांक से):

Date To 24/12/2024
(दिनांक तक):

Time Period पहर 5
(समय अवधि):

Time From 14:15 बजे
(समय से):

Time To 14:15
(समय तक): बजे

1



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 24/12/2024 Time (समय): 15:40 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 026 Date & Time 24/12/2024 15:40 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, .5 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address वहद ग्राम जुगैल
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

[Handwritten signature]



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): प्रणय प्रसून श्रीवास्तव
 (b) Father's Name (पिता का नाम): स्व० प्रेमनन्द श्रीवास्तव
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 17/04/1975
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	चौफाला, अहरीला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9936900686

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	यशवारू कोल वाहन संख्या UP64AT 0883 का चालक		पिता का नाम : लालजीव	1. विजौरा, जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	राम सुरत यादव उर्फ छोटई		पिता का नाम : लक्ष्मण	1. विजौरा, जुगौल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of Interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फर्द बरामदगी एक अट्ट टीपर वाहन छ: चक्रा संख्या up64 AT 0883 पर बिना परमिट की लोड बालू / मोरम व गिरफ्तारी 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS एवं 3(1), 58, 72(6), 30 प्र 0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि 0 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि 0 अधि 0 1984 थाना जुगौल जनपद सोनभद्र, आज दिनांक 24.12.24 को मै प्रभारी निरीक्षक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव मय हमराह HC श्रवण सिंह यादव HC राधेमोहन कुशवाहा मय जीप सरकारी सुमो गोल्ड नं 0 UP64 G0400 मय चालक लव कुमार के क्षेत्र में रवाना शुदा इमरोजा मामूर हो कर थाना गेट के बाहर भरहरी जुगौल मुख्य सड़क पर मौजूद था निरन्तर अभिसूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्र के विशेष कर विजौरा गांव कुछ मनवड़ जो पूर्व से अवैध खनन व बालू चोरी मे संलिस रहे है पुनः नदी से चोरी का बालू निकाल कर परिवहन व बिक्री कर रहे है। जिसमे दृष्टिगत खान निरीक्षक श्री मनोज कुमार को जरिये मोबाईल सूचित कर बुलाया गया जो थाना गेट पर समय 13.50 बजे आकर मिले मुखविर तलब कर जानकारी मिली की विजौरा के छोटई यादव का नीले रंग का टीपर बिना नम्बर प्लेट चोरी का बालू लोड कर हर्पाड़ाड की तरफ बन रही सड़क के लिए बेचने

4

(Handwritten signature)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

/सप्लाई देने आ रहा है। शीघ्र पहुंचने वाला है जिस पर हम लोग आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान होने पर कि हमारे पास कोई आपत्ति जनक सामग्री नहीं है। शीघ्रता कर भरहरी/हर्षाडाड की तरफ घले आशनाय राह से गयाहान फराहम करने का प्रयास किया गया परन्तु भलाई बुलाई के डर से कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ कि थाने से करीब 500 मीटर हर्षाडाड के तरफ पहले छलके के पास मायुल आड़ में याहन खड़ी कर विजौरा/जुगौल की तरफ से आने वाले उक्त टीपर का इन्तेजार करने लगे समय करीब 14.10 बजे दूर से नीले रंग की टीपर आती दिखायी दी जिसे हियमत अमली से समय 14.15 बजे वही छलके के पास रोक कर साइड करवाया जिसके निरीक्षण से चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए बिना नम्बर टीपर पर लोड़ बालू को वैध प्रपत्र तलब किया गया तो चालक ने अपना नाम कतवारू कोल पुत्र लालजीव उम्र करीब 28 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगौल जनपद सोनभद्र बताया तथा यह भी बताया तथा यह भी बताया कि साहब यह टीपर राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा की है जिसका वाहन संख्या UP64AT 0883. है इस पर लोड़ बालू विजौरा में सोन नदी से चोरी से निकाल कर लोड़ किया गया है। इसका कोई कागज नहीं है और पूछ ताछ पर बता रहा है कि मैं छोटई यादव उपरोक्त के साथ मिलकर अक्सर चोरी से सोन नदी से बालू निकालता हूँ मैं चालक हूँ, तथा हम लोग क्षेत्र में मांग के अनुरूप सस्ते में बालू बेच देते हैं जिससे टीपर स्वामी छोटई यादव और मुझे अधिक लाभ मिलता है। छोटई ने इसी लगातार बालू चोरी कर बिना परमिट के सस्ते में बेच कर अब तक बहुत लाभ कमाया है इसी कमाई से इसके घर परिवार में जेसीबी, बोलैरो, ट्रैक्टर तथा अन्य वाहन भी है जेसीबी से खुदाई कर चोरी से बालू लोड़ कर बेचता है टीपर में लदे बालू का खान निरीक्षक के द्वारा माप करने पर टीपर में कुछ 7.66 घन मीटर बालू लदा पाया गया वाहन टीपर के निरीक्षण से चेचिस नं० MB1GSGAC8GRYP6968 पाया गया। पहने कपडे की तलाशी ली तलाशी से चालक के पास अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी पकडे गये चालक अभि० कतवारू उपरोक्त का कार्य तथा टीपर में चोरी का बालू खनन कर लोड़ कर बेचने वाले टीपर मालिक राम सूरत @ छोटई यादव का यह कार्य राजस्व की चोरी कर उप खनिज प्रदार्थ बालू/ मोरम की चोरी कर उप खनिज का अवैध परिवहन कर लोग संपत्ति के नुकसानी से अच्छादित है जो धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS एवं 3(1), 58, 72(6), 30प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी नि० अधि० 1984 का दण्डनीय अपराध है अतः अभि० कतवारू को उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत करा कर कारण गिरफ्तारी बता कर बकायदा बाजाफता हिरासत पुलिस लिया गया तथा लोड़ बालू मय वाहन कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के कुछ राह गिर मौके पर रुक गये जिनसे गवाही हेतु नाम पता पुछा गया तो बिना नाम पता बताये मौके से छले गये सूचना गिरफ्तारी उचित माध्यम से अभि० के घर (परिजनो को) दी जा रही है। दौरान गिरफ्तारी

5



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

व बरामदगी मा0 सर्वोच्च न्याया0 व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया फर्द मौके पर लिखकर पड़कर सूनाकर इल्मीनान करा कर साथी सम्बन्धित के आलामात बनवाए जा रहे है। ह0प्र0नि0 अप्रेजी अपठनीय 24/12/24 (पणय प्रसून श्रीवास्वत) ह0 खान निरीक्षक अप्रेजी अपठनीय /24/12/24 (MI) ह0 HC राधेमोहन ,HC श्रवण ,ह0 यत्तवारू नोट- फर्द की नकल अभि0 को दी गई। ह0अपठनीय प्र0नि0 ह0 यत्तवारू। नोट:- मै का0मु0 सद्दाम हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि फर्द की नकल मेरे द्वारा अक्षरशः अंकित किया गया है केवल तकनीक उपकरण के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) MANOJ KUMAR Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): SINGH (पद):

No. 892051412 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)


(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म -1)

- 14 Signature/Thumb Impression of the
complainant / Informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):
- 15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PRANAY PRASUN
Rank I (Inspector)
No. 07276014



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to Item 7 of First Information Report

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:

(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (फुट (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : सोनभद्र (के न्यायालय में)

1. District (जिला): सोनभद्र
P.S. (थाना): जुगोल
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0119

Year(वर्ष): 2024

Date(दिनांक): 24/12/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 17/04/2025

4. S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस).	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस).	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस).	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का	4
8	खान एवं खनिज (विकास का	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण	3

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

मूल





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): RAM NARAYAN RAM
Rank (पद): I (Inspector) No. (सं.):072760185
9. (a) (क) Name of complainant / Informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
प्रणय प्रसून श्रीवास्तव
(b) (ख) Father's Name (पिता का नाम) : स्व० प्रेमनन्द श्रीवास्तव
10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र.सं.): 1

(i) Name फत्तवारू कोल


Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name (पिता का नाम): लालजीव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1998

2

2



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

- (iv) Sex(लिंग): पुरुष
 (v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
 (vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
 Date of Issue(जारी करने की तिथि):
 Place of Issue(जारी करने का स्थान):
 (vii) Religion (धर्म):
 (viii) Whether SC/ST/OBC
 (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
 (ix) Occupation(व्यवसाय):
 (x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	विजौरा , जुगल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	विजौरा , जुगल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हॉ

Regular Criminal No. (if known)
 नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
 (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
 (न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

3



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्योरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

4

(Handwritten signature)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name राम सूरत यादव उर्फ छोटेई
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्ष्मण

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	बिजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बिजौरा , जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हॉ

Regular Criminal No. (If known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि जात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):



6



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):


(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):



7



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एफीकृत जॉय फार्म -V)

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name मनोज यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्षण यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2001

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम बिजौरा अगोरी खास , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम बिजौरा अगोरी खास , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि जात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):



8



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):



9



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जीव फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):


S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

- (xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा
(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :



10



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name (नाम): रामप्रताप यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): शिव मुनी यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अगौरी खास टोला विजौरा , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अगौरी खास टोला विजौरा , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(Handwritten signature)

11



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)


(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्योरा):



12



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

(Handwritten signature)

13



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जॉब फार्म -V)

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name राममूरत उर्फ लखनू यादव
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): लक्ष्मण यादव

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2000

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम बिजौरा पोस्ट बड़गांव, अगोरी खास , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम बिजौरा पोस्ट बड़गांव, अगोरी खास , जुगेल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

X

14



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 17/04/2025
(न्यायालय को भेजने की तिथि):


(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(6)
7	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
8	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
9	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्योरा):



15



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)-
--------------------	---------------------------------	---------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): अदालत में भेजा

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)
(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

16



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

S. No (क्र. सं.)	Name (नाम)	Father's/Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/Year of birth (जन्म तिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	पणप पसून श्रीवास्तव	पिता: स्व० प्रेमचन्द श्रीवास्तव	17/04/1975		वर्तमान पता: धाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: चौफाला, अहरीला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत	द्विधायकपत्रा
2	श्री० सदाम हुसेन पीएनओ नं० 182691 137	पिता: अब्दुल समद अंसारी			वर्तमान पता: धाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम सुधौ, उन्न, भदोही, उत्तर प्रदेश, भारत	औपचारिक गवाह
3	होका० रमन सिंह यादव पीएनओ नं० 112520 928	पिता: श्री जबरान			वर्तमान पता: धाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मडहुआ, कोतवाली, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी
4	होका० राधेमोहन कुशवाहा पीएनओ नं० 112690 928	पिता: श्री छोटे लाल			वर्तमान पता: धाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम सीना ओगय, खानपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी
5	होका० अबुल कैश रॉ पीएनओ नं०- 982410 254	पिता: स्व० अब्दुल सतार			वर्तमान पता: धाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम बाटा, गहमर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	पुलिस साक्षी

17



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जॉच फार्म -V)

6	सुयोध पाण्डेय	पिता: मन्दलाल पाण्डेय			वर्तमान पता: ग्राम मटाईन, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मटाईन, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत	पथुटर्सी साक्ष्य
7	शिवदास	पिता: धर्मू			वर्तमान पता: ग्राम मटाईन, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मटाईन, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत	पथुटर्सी साक्ष्य
8	श्री मनोज कुमार सिंह पीएनओ नं. 882051412	पिता: श्री विजयप्रसाद सिंह			वर्तमान पता: थाना जुगैल, जुगैल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: कुड़ियारी, साहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	प्र०नि० भैया शिव प्रसाद सिंह पीएनओ नं०- 890640140	पिता: स्व० श्री भैया सुरेन्द्रनाथ सिंह			वर्तमान पता: थाना हाथीनाला,, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पाली, कोतवाली, मलिया, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान् जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं 16 दिनांक 03.03.2025 को कित्ता फर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है आज मैं प्र०नि० /विवेचक मौका निकालकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में लीन हुआ श्रीमान् जी निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त दिनांक 24.12.2024 को थाना जुगैल जनपद सोनभद्र पर नामित अभियुक्तगण चालक कतवारू कौल पुत्र लालजीव उम्र करीब 26 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 25 वर्ष पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री मनोज कुमार सिंह को सुपुर्द हुई जिनके द्वारा



18



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जॉय फार्म -V)

विवेचना ग्रहण कर मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से दिनांक 02.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से उप खनिज बालू / मोरम घोरी कर लोक सम्पत्ति नुकसान एवं उसके परिवहन तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लोकेशन आदि की रेफी कर सुरक्षित पास करा कर पासर की भूमिका अदा कर सहयोग करने वाले के रूप में नामजद अभियुक्त गण के अतिरिक्त लल्लू यादव उर्फ राममूरत उम्र करीब 30 व व मनोज यादव उम्र करीब 24 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासी गण ग्राम अगौरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल सोनभद्र तथा राम प्रताप यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र शिव मुनी यादव निवासी ग्राम अगौरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल सोनभद्र का नाम प्रकाश में लाया गया है मुकदमा उपरोक्त के वादी प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल होने के कारण मुकदमा उपरोक्त की विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र के आदेश के त्रम में दिनांक 11.01.2025 को मुझ प्रभारी निरीक्षक थाना हाथीनाला को सुपुर्द हुई विवेचना ग्रहण कर सम्पादित की गयी। श्रीमान जी अबतक की तमामी विवेचना बयान गवाहान व अन्य सम्पूर्ण संकलित साक्ष्य से नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण क्रमशः 1. वाहन टीपर चेचिस नं0 MB1GSGAC8GRYP6968 का चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव उम्र करीब 26 वर्ष R/O विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 25 वर्ष, प्रकाश में आये अभियुक्तगण 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव उम्र करीब 30 वर्ष व 4. मनोज यादव उम्र करीब 24 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासीगण अगौरी खास टोल विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र, 5. रामप्रताप यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र शिव मुनी यादव निवासी अगौरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध जुर्म धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS एवं 3(1), 58, 72(6), 303(2) उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि0 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0 अधि0 1984 का अपराध प्रमाणित हो रहा है। अतः प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1. वाहन टीपर चेचिस नं0 MB1GSGAC8GRYP6968 का चालक कतवारू कोल पुत्र लालजीव R/O विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 2. राम सूरत यादव उर्फ छोटई पुत्र लक्ष्मण निवासी विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र 3. राममूरत उर्फ लल्लू यादव व 4. मनोज यादव पुत्रगण लक्ष्मण यादव निवासीगण अगौरी खास टोला विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र, 5. रामप्रताप यादव पुत्र शिव मुनी यादव निवासी अगौरी खास टोल विजौरा थाना जुगैल जनपद सोनभद्र चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 28/25 दिनांक 17.04.2025 को मय समस्त साक्ष्य व किता केश डायरी के साथ मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। अतः मा0 न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत/गवाहान तलब कर विचारण करने की कृपा की जाए। विवेचना जरिये आरोप पत्र समाप्त की जाती है।

19



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जॉय फार्म -V)

17. Refer Notice served नहीं
 (जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 17/04/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20. List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं/चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age / मफरर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस दिवरण के साथ कि कहीं और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :


24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

20



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

25ग. Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
 (पभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित)
Name (नाम): PRANAY PRASUN SRIVASTAV
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 07276014

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
 (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
 अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): RAM NARAYAN RAM
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 072760185



21



कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 243163000824/SONBHADRA(Khanij)/2023-24

दिनांक: 02/02/2024

नोटिस

PRAVESH KUMAR SINGH,

निवासी- VILL. DIGHWAR, PO LAMSARAI, SINGRAULI, Singrauli486882

अवगत कराना है कि तहसील Obra के स्थान Jugall police station sonbhadra, Uttar Pradesh, पर mCheck App द्वारा जाँच किये गये आपके वाहन सं० UP64AH1367 द्वारा बिना परिवहन प्रपत्र दिनांक- 02/02/2024 को समय 04:17:00 PM बजे लगभग 3 घ०मी० उप खनिज Morrur का परिवहन किया गया है। आपका उक्त कृत्य उ०प्र० उप खनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम-72 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उ०प्र० उप खनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम-72(6) कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो रू. 25,000/- (पच्चीस हजार) का शास्ति एवं, रायल्टी सहित ऐसे खनिज के मूल्य को वसूल किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर उपरोक्त नियम का उल्लंघन के आरोप में शास्ति रू.-25,000/-, रायल्टी व खनिज मूल्य सहित रू.- 2700/- कुल रू.- 27700/- खनिज लेखाशीर्षक 085300800010000 में जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय को उपलब्ध कराये, निर्धारित समयावधि के अन्दर वांछित धनराशि जमा न करने की दशा में आपके वाहन को खनिजों के परिवहन करने से प्रतिबन्धित किये जाने हेतु सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए संगत नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

जिलाधिकारी
सोनभद्र

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
सोनभद्र

नोट : उपरोक्त जुर्माना राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने हेतु <https://upndss.in/npay> पर जायें एवं नोटिस नं०- 243163000824 अंकित कर प्रक्रिया पूर्ण करें।



कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुगाग)

सुपुर्दगीनामा

पत्रांक:- भेगो/प्रवर्तन/2024-25

दिनांक 10/06/2024

सेवा में,

धानाध्यक्ष,

धाना-जुगैल,

जनपद-सोनभद्र।

आप द्वारा दिनांक 08.06.2024 को अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में उपखनिज से भरे वाहनों की जाँच की गयी। उपखनिज से सम्बन्धित वैध प्रपत्र न पाये जाने के कारण निम्नलिखित वाहन को धाना-जुगैल में खड़ा कराते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में वाहनों की जाँच की गयी। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन पर लोड उपखनिज का नाम व मात्रा	पायी गयी कमी
1	UP64 S 9031 (ट्रैक्टर)	03 घन0मी0 मोरम	बिना कोई वैध प्रपत्र।
2	UP64 AH 0042 (ट्रैक्टर)	03 घन0मी0 मोरम	बिना कोई वैध प्रपत्र।

उपरोक्तानुसार उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त वाहन को मय उपखनिज अपनी अभिरक्षा में रखने का कष्ट करें।

नोट:- उपरोक्त सीज किये गये वाहन की देख-रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन स्वामी/चालक/सहचालक की स्वयं की होगी।

भवदीय

Mouji
खान निरीक्षक,
सोनभद्र।



कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खगिज अनुभाग)

सुपुर्दगीनामा

पत्रांक:- भेगो/प्रवर्तन/2023-24

दिनांक 08/04/2024

सेवा में,

धानाध्यक्ष,

धाना-जुगैल,

जनपद-सोनभद्र।

आप द्वारा दिनांक 06.04.2024 को अवैध परिवहन के सम्बन्ध में उपखनिज से भरे वाहनों की जाँच की गयी। उपखनिज से सम्बन्धित बिना अगिवहन प्रपत्र के परिवहन करते पाये जाने के कारण निम्नलिखित वाहन को धाना-जुगैल में खड़ा कराते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 08.04.2024 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके सम्बन्ध में वाहनों की जाँच की गयी। विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं०	वाहन संख्या	वाहन पर लोड उपखनिज का नाम व मात्रा	पायी गयी कमी
1	UP 64 AQ 4310 Chesis no- MBNABAJAKMRM08604	03 घन0मी0 मोरम	बिना कोई वैध प्रपत्र।


उपरोक्तानुसार उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त वाहन को मय उपखनिज अपनी अभिरक्षा में रखने का कष्ट करें।

नोट:- उपरोक्त सीज किये गये वाहन की देख-रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन स्वामी/चालक/सहचालक की स्वयं की होगी।

भवदीय,

10/04/24
खान निरीक्षक,
सोनभद्र।



:- जॉच आख्या :-ज्येष्ठ खान अधिकारी महोदय,

प्रभारी निरीक्षक, थाना जुगैल के पत्र दिनांक 07.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 05.02.2024 को 01 ट्रैक्टर वाहन जो बिना नम्बर प्लेट जिसका चेसिस नम्बर T045004146JL इंजन संख्या E2611056 मय ट्राली पर अवैध बोल्डर लदा पाये जाने के कारण थाना जुगैल परिसर में खड़ा कराते हुए खनन कार्यालय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण में पुनः प्रभारी निरीक्षक थाना जुगैल, सोनभद्र द्वारा दिनांक 09.05.2024 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि उपरोक्त वाहन ट्रैक्टर में बालू लदा है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.05.2024 को थाना जुगैल परिसर में खड़े वाहन का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 01 वाहन (ट्रैक्टर मय ट्राली) फार्मट्रैक पावरमैक्स 45, रंग- नीला, बिना नम्बर प्लेट जिसका चेसिस नम्बर T054004146JL इंजन संख्या E2611056 है। उक्त वाहन पर बालू/मोरम 01 घ0भी0 लोड पाया गया।

उपरोक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Mansu
खान निरीक्षक
सोनभद्र।



रथ-अपलोकन
अवैध खनन/परिवहन हेतु
विरोध निर्देश

- 1-अपर पुलिस अधीक्षक, गुज्यातय/आपरेसन,
 - 2-समस्त क्षेत्राधिकारी,
 - 3-समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,
 - 4-प्रभारी यातायात/प्रभारी डायल-112
- जनपद, सोनभद्र

प्रायः जनपद के भिन्न थानों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जबकि आप लोग अवगत हैं कि शासन स्तर से बार-बार अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भी आप लोगों के जौन/सर्किल/थाना/चौकियों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें प्राप्त होना यह परिलक्षित करता है कि आप लोगों द्वारा इस और कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है और न ही अवैध खनन/परिवहन करने वाले के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप लोगों का अपने सर्किल/थाना में अवैध खनन व परिवहन करने वाले अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो शासन सहित उच्चाधिकारीयों के आदेशों/निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या-50पी/छ-पु-3-2018-39पी/2017, दिनांक 16.03.2028 व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-आठ-94(निर्देश-2)2017 दिनांक 14.06.2017 के माध्यम से प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित निर्देशों दिये गये हैं-

- > (1) स्थानीय पुलिस एवं डायल-यू0पी0-112 के पुलिस कर्मियों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी अवैध खनन अथवा परिवहन की जाँच/चेकिंग स्वतः संज्ञान लेकर नहीं की जायेगी।
- > (2) यू0पी0-112 के लखनऊ केंद्र पर मिट्टी/बालू/मोरम के अवैध खनन अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उसे संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को केंद्र द्वारा अद्यतन कराया जायेगा, जो इस संबंध में खनन विभाग के शासनवादेश संख्या-355(2)/80-2017-371/2005 दिनांक 17.04.2017 द्वारा गठित टास्क फोर्स के संज्ञान में लाते हुए इस पर प्रभावी जाँच/कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- > (3) थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को देंगे। उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- > (4) पुलिस सुरक्षा/यातायात प्रबंधन हेतु बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस द्वारा चेकिंग करते समय उपरोक्त बिन्दु-(1) में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी माध्यम से चेकिंग बैरियर पर अवैध बसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी या उनसे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को दी जाये, जिससे संबंधित के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही की जा सके।
- > (5) अन्य दिनागों द्वारा बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस केवल सुरक्षा के लिये तैनात रहेगी तथा उसके द्वारा उक्त विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की चेकिंग आदि नहीं की जायेगी। ऐसे बैरियरों पर यदि अवैध बसूली की शिकायत प्राप्त होती है तथा यदि वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पूर्व से ही इस अवैध बसूली के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी को सूचना दे दी जाती है, तो उनको इसके लिए दोषी नहीं माना जायेगा, अन्यथा अवैध बसूली में वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों की भी संलिप्तता गानी ख्यायेगी।

/



- (6) जनपद के खनन अधिकारियों द्वारा जनपद के सभी प्रभावी निरीक्षक/धानाध्यक्ष को उनके क्षेत्र में दिये गये खनन के पट्टों के स्थानों को, जो खनन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से विहित किये गये हों, अपगत कठना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि किसी धाना क्षेत्र में विहित पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्यत्र स्थान पर संगठित/बृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है। और यदि इस संबंध में प्रभावी निरीक्षक/धानाध्यक्ष द्वारा यथेष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभावी को सूचित नहीं किया गया है, तो उसमें संबंधित प्रभावी निरीक्षक/धानाध्यक्ष की साक्षरता मानी जायेगी।
- (7) अथैव खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खान व खनिज अधिनियम 1957 यथा समय-समय पर संशोधित, जिसमें खनन गतिविधियों का नियमन, अथैव खनन की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण के उपाय किये जाने के निहित प्रावधानों का नियमानुसार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- (8) उक्त खान खनिज परिहार नियमावली वर्ष-2021 में भी खनिज संसाधनों के प्रदूषण, विनियमन, अथैव खनन रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण के विस्तृत प्रावधान, प्रदूषण नियंत्रण आदि से सम्बन्धित निहित प्रावधानों का नियमानुसार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2- अतः उक्त के समन्वय में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का भली-भाँति अवगत/परिशीलन कर निर्देशों का स्वयं व अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अपगत कठते हुए अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने ज़ोन/सर्किल/धाना व चौकियों में होने वाले अथैव खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के दृष्टिगत राजस्व विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त टीम के माध्यम से धाना/चौकी पर होने वाले अथैव खनन/परिवहन की घटनाओं पर नियमानुसार थिधिक कार्यवाही करके अथैव खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें।

संख्या: या0/पु0अ0-44/2024
दिनांक: सितम्बर 16, 2024

16/9/24
पुलिस अधीक्षक,
सोनभद्र।



स्व-अवलोकन
अवैध खनन/परिवहन हेतु
विशेष निर्देश

- 1-अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/आपरेशन,
- 2-समस्त क्षेत्राधिकारी,
- 3-समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,
- 4-प्रभारी यातायात/प्रभारी डायल-112
जनपद, सोनभद्र

प्रायः जनपद के भिन्न थानों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जबकि आप लोग अवगत हैं कि शासन स्तर से बार-बार अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसके बावजूद भी आप लोगों के जोन/सर्किल/थाना/घौकियों से अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें प्राप्त होना यह परिलक्षित करता है कि आप लोगों द्वारा इस ओर कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है और न ही अवैध खनन/परिवहन करने वाले के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप लोगों का अपने सर्किल/थाना में अवैध खनन व परिवहन करने वाले अपराधीगण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो शासन सहित उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश का धोर उल्लंघन है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या-50पी/छ:-पु-3-2018-39पी/2017, दिनांक 16.03.2028 व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-आठ-94(निर्देश-2)2017 दिनांक: 14.06.2017 के माध्यम से प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित निर्देशों दिये गये हैं:-


(1) स्थानीय पुलिस एवं डायल-यू0पी0-112 के पुलिस कार्मिकों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी अवैध खनन अथवा परिवहन की जाँच/चेकिंग स्वतः संज्ञान लेकर नहीं की जायेगी।

(2) यू0पी0-112 के लखनऊ केन्द्र पर मिट्टी/बालू/मोरम के अवैध खनन अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उसे संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को केन्द्र द्वारा अवगत कराया जायेगा, जो इस संबंध में खनन विभाग के शासनआदेश संख्या-355(2)/86-2017-371/2005 दिनांक 17.04.2017 द्वारा गठित टास्क फोर्स के संज्ञान में लाते हुए इस पर प्रभावी जाँच/कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(3) थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को देंगे। उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(4) पुलिस सुरक्षा/यातायात प्रबंधन हेतु बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस द्वारा चेकिंग करते समय उपरोक्त छिन्दु(1) में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी माध्यम से चेकिंग बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी या उनसे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को दी जाये, जिससे संबंधित के विरुद्ध अप्रतार कार्यवाही की जा सके।

(5) अन्य विभागों द्वारा बनाये गये चेकिंग बैरियर पर पुलिस केवल सुरक्षा के लिये तैनात रहेगी तथा उसके द्वारा उक्त विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की चेकिंग आदि नहीं की जायेगी। ऐसे बैरियरों पर यदि अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होती है तथा यदि वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पूर्व से ही इस अवैध



[Handwritten signature]

यसूली के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी को सूचना दे दा जाती है, तो उनको इसके लिए दोषी नहीं माना जायेगा, अन्यथा अवैध यसूली में यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों की भी संलिप्तता मानी जायेगी।

(6) जनपद के खनन अधिकारियों द्वारा जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को उनके क्षेत्र में दिये गये खनन के पट्टों के स्थानों को, जो खनन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से विन्डित किये गये हो, अयगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि किसी थाना क्षेत्र में विन्डित पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर संगठित/वृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है। और यदि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी को सूचित नहीं किया गया है, तो उसमें संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की संलिप्तता मानी जायेगी।

2- अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का भली-भाँति अवलोकन/परिशीलन कर निर्देशों का स्वयं व अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अयगत कराते हुए अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने जोन/सर्किल/थाना व चौकियों में होने वाले अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के दृष्टिगत राजस्व विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त टीम के माध्यम से थाना/चौकी पर होने वाले अवैध खनन/परिवहन की घटनाओं पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराकर अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें।

संख्या: या0/पु0अ10-44/2024
दिनांक: दिसम्बर 07, 2024

पुलिस अधीक्षक,
सोनभद्रा





INDIA NON JUDICIAL



58

Government of Uttar Pradesh

IN-UP94791220598817X

e-Stamp

A.C.C Name - Ashok Kumar Meena
A.C.C Code - UP 14104404
A.C.C Add - A18325706
Robertsganj, Sonbhadra
Mobile - 9453157066
Licence No - 418
Tahseel Pariser Robertsganj, Sonbhadra


Certificate No. : IN-UP94791220598817X
 Certificate Issued Date : 17-Apr-2025 10:18 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14104404/ SONBHADRA/ UP-SNB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410440486897037328894X
 Purchased by : ASHOK KUMAR MEENA SON OF MANOHAR LAL MEENA
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ASHOK KUMAR MEENA SON OF MANOHAR LAL MEENA
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : ASHOK KUMAR MEENA SON OF MANOHAR LAL MEENA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)

710
710E710E710E710

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line



₹ Tikat 10 Ks
SATYA PRAKASH SINGH
KUSHWAHA
Adv. NOTARY
Robertsganj-Sonbhadra

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikastamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
2. The mode of checking the legitimacy is on the basis of the certificate
3. The mode of checking the legitimacy is on the basis of the certificate

उत्तर प्रदेश पुलिस Uttar Pradesh Police परिचय पत्र



Name/ नाम ASHOK KUMAR MEENA

Desig./पद Supdt. of Police

DOB/जन्मतिथि 11/09/1984

Valid till/वैध तिथि 31/10/2031



Issued by

उत्तर प्रदेश, लखनऊ
 (उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, लखनऊ)
 U.P. Police H. Q. Lucknow

Id Card No :

IPS-686

पिता/पति का नाम/ Shri MANOHAR LAL MEENA
 Father's/Husband Name
 दिनांक/नियुक्ति 28/12/2015
 Date of Appointment
 रक्त समूह/Blood Group B+
 Emergency Contact
 Ph: 7014921732
 Name: Smt. BHARTI SINGH DEWADWA
 Address SP, RESIDENCE, FATEHGARH -209601

